



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022026-269968
CG-DL-E-09022026-269968

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 597]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 627(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के अमरेली जिले में NH351 के कि.मी. 27 से कि.मी.154 (महुवा - सावरकुंडला - अमरेली - बगसरा - वडीया - जेतपुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा

और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के अमरेली जिले में NH351 के कि.मी. 27 से कि.मी.154 (महुवा - सावरकुंडला - अमरेली - बगसरा - वडीया - जेतपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: अमरेली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कुंकवाव वडिआ					
गांव का नाम: खड़खड़					
1	29 Min	निजी	कृषि	0.1818 (हेक्टेयर)	0.1818
2	29 min	सरकारी	पडतर	0.0041 (हेक्टेयर)	0.0041
गांव का नाम: मोरवाडा					
3	129 / 1	निजी	कृषि	0.0391 (हेक्टेयर)	0.0391
4	129 / 2	निजी	कृषि	0.0903 (हेक्टेयर)	0.0903
5	130 PAIKI 3	निजी	कृषि	0.0249 (हेक्टेयर)	0.0249
6	134 / 3 PAIKI 2	निजी	कृषि	0.0157 (हेक्टेयर)	0.0157
7	135	निजी	कृषि	0.0225 (हेक्टेयर)	0.0225
8	136	निजी	कृषि	0.1188 (हेक्टेयर)	0.1188
9	147 min	निजी	कृषि	0.1033 (हेक्टेयर)	0.1033
10	149 min	निजी	कृषि	0.2575 (हेक्टेयर)	0.2575
11	150 PAIKI 2	निजी	कृषि	0.0364 (हेक्टेयर)	0.0364

12	151 / 2 min	निजी	कृषि	0.1387 (हेक्टेयर)	0.1387
13	152	निजी	कृषि	0.0903 (हेक्टेयर)	0.0903
14	153 PAIKI 1	निजी	कृषि	0.0554 (हेक्टेयर)	0.0554
15	154 Min	निजी	कृषि	0.0173 (हेक्टेयर)	0.0173
16	155	निजी	कृषि	0.4525 (हेक्टेयर)	0.4525
17	157 min	निजी	कृषि	0.6508 (हेक्टेयर)	0.6508
18	206	निजी	कृषि	0.2455 (हेक्टेयर)	0.2455
19	207 PAIKI 1	निजी	कृषि	0.2318 (हेक्टेयर)	0.2318
20	211	निजी	कृषि	0.0104 (हेक्टेयर)	0.0104
21	220	निजी	कृषि	0.1605 (हेक्टेयर)	0.1605
22	221	निजी	कृषि	0.1638 (हेक्टेयर)	0.1638
23	222	निजी	कृषि	0.0344 (हेक्टेयर)	0.0344
24	223	निजी	कृषि	0.0336 (हेक्टेयर)	0.0336
25	224 min	निजी	कृषि	0.3645 (हेक्टेयर)	0.3645
26	228 min	निजी	कृषि	0.4929 (हेक्टेयर)	0.4929
27	229	निजी	कृषि	0.4856 (हेक्टेयर)	0.4856
गांव का नाम: अरजणसुख					
28	304 min	निजी	कृषि	0.1495 (हेक्टेयर)	0.1495
29	Road 1	सरकारी	पडतर्	0.0161 (हेक्टेयर)	0.0161
गांव का नाम: तोरी					
30	187 min	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
31	Nala 1	सरकारी	पडतर्	0.1459 (हेक्टेयर)	0.1459
32	Nala 2	सरकारी	पडतर्	0.3627 (हेक्टेयर)	0.3627
33	Nala 3	सरकारी	पडतर्	0.3941 (हेक्टेयर)	0.3941
34	Nala 4	सरकारी	पडतर्	0.0701 (हेक्टेयर)	0.0701

तालुक का नाम: बगसरा					
गांव का नाम: हडाला					
35	296 MIN	निजी	गैरकृषि	0.0139 (हेक्टेयर)	0.0139
36	304 Min	निजी	गैरकृषि	0.0767 (हेक्टेयर)	0.0767
गांव का नाम: डेरीपीपारीया					
37	106 min	निजी	कृषि	0.0331 (हेक्टेयर)	0.0331
38	Road	सरकारी	पडतर्	0.0894 (हेक्टेयर)	0.0894
गांव का नाम: नटवर नगर					
39	Nala	सरकारी	पडतर	0.0222 (हेक्टेयर)	0.0222
40	Railway	सरकारी	गैरकृषि	0.1779 (हेक्टेयर)	0.1779
Total					6.124

[फा. सं. GJ/P/V/13/2019/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 627(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of **NH351** in the stretch of land from **Km. 27 to Km. 154 (MAHUA - SAVARKUNDALA - AMRELI - BAGASARA - VADIYA - JETPUR)** in the district of **AMRELI** in the state of **GUJARAT**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH351 in the stretch of land from Km. 27 to Km. 154 (MAHUVA - SAVARKUNDALA - AMRELI - BAGASARA - VADIYA - JETPUR) in the district of AMRELI in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: AMRELI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kunkavav Vadia					
Village: Khadkhad					
1	29 Min	Private	Agriculture	0.1818 (Hectare)	0.1818
2	29 min	Government	Waste Land	0.0041 (Hectare)	0.0041
Village: Morvada					
3	129 / 1	Private	Agriculture	0.0391 (Hectare)	0.0391
4	129 / 2	Private	Agriculture	0.0903 (Hectare)	0.0903
5	130 PAIKI 3	Private	Agriculture	0.0249 (Hectare)	0.0249
6	134 / 3 PAIKI 2	Private	Agriculture	0.0157 (Hectare)	0.0157
7	135	Private	Agriculture	0.0225 (Hectare)	0.0225
8	136	Private	Agriculture	0.1188 (Hectare)	0.1188
9	147 min	Private	Agriculture	0.1033 (Hectare)	0.1033
10	149 min	Private	Agriculture	0.2575 (Hectare)	0.2575
11	150 PAIKI 2	Private	Agriculture	0.0364 (Hectare)	0.0364
12	151 / 2 min	Private	Agriculture	0.1387 (Hectare)	0.1387
13	152	Private	Agriculture	0.0903 (Hectare)	0.0903
14	153 PAIKI 1	Private	Agriculture	0.0554 (Hectare)	0.0554
15	154 Min	Private	Agriculture	0.0173 (Hectare)	0.0173
16	155	Private	Agriculture	0.4525 (Hectare)	0.4525
17	157 min	Private	Agriculture	0.6508 (Hectare)	0.6508
18	206	Private	Agriculture	0.2455 (Hectare)	0.2455
19	207 PAIKI 1	Private	Agriculture	0.2318 (Hectare)	0.2318
20	211	Private	Agriculture	0.0104 (Hectare)	0.0104
21	220	Private	Agriculture	0.1605 (Hectare)	0.1605
22	221	Private	Agriculture	0.1638 (Hectare)	0.1638
23	222	Private	Agriculture	0.0344 (Hectare)	0.0344
24	223	Private	Agriculture	0.0336 (Hectare)	0.0336
25	224 min	Private	Agriculture	0.3645 (Hectare)	0.3645
26	228 min	Private	Agriculture	0.4929 (Hectare)	0.4929
27	229	Private	Agriculture	0.4856 (Hectare)	0.4856
Village: Arjansukh					
28	304 min	Private	Agriculture	0.1495 (Hectare)	0.1495
29	Road 1	Government	Waste Land	0.0161 (Hectare)	0.0161
Village: Tori					
30	187 min	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
31	Nala 1	Government	Waste Land	0.1459 (Hectare)	0.1459
32	Nala 2	Government	Waste Land	0.3627 (Hectare)	0.3627

33	Nala 3	Government	Waste Land	0.3941 (Hectare)	0.3941
34	Nala 4	Government	Waste Land	0.0701 (Hectare)	0.0701
Taluk: Bagasara					
Village: Hadala					
35	296 MIN	Private	Non Agriculture	0.0139 (Hectare)	0.0139
36	304 Min	Private	Non Agriculture	0.0767 (Hectare)	0.0767
Village: Deri Pipaliya					
37	106 min	Private	Agriculture	0.0331 (Hectare)	0.0331
38	Road	Government	Waste Land	0.0894 (Hectare)	0.0894
Village: Natwar nagar					
39	Nala	Government	Waste land	0.0222 (Hectare)	0.0222
40	Railway	Government	Non-Agriculture	0.1779 (Hectare)	0.1779
Total					6.124

[F. No. GJ/P/V/13/2019/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director